# परिचय

1 अप्रील, 2007 से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती कल्याण विभाग से अलग कर ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग'' के रूप में स्थापित किया गया हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए विभाग के माध्यम से कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लगातार बजट प्रावधान में वृद्धि किया जा रहा हैं। राज्य योजना मद से वर्ष 2005–06 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल ₹4048.36 लाख का उद्व्यय था जबकि वर्ष 2016–17 में प्रस्तावित उद्व्यय कुल ₹157598.84 लाख हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के बहुमूखी विकास हेतु निरंतर नयी योजनाओं को समावेशित की जा रही हैं।

## अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग – बजट–2016–17

(राशि ₹ लाख में)

| क्र. सं. | मद | मुख्य शीर्ष | प्रस्तावित बजट 2016–17 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजना | गैरयोजना | कुल |
| 1 | अनु० जाति एवं अनु० जनजाति | 2225 | 141155.00 | 21109.59 | 162264.59 |
| 2 | सचिवालय सेवायें | 2251 | 0 | 449.12 | 449.12 |
| 3 | पूंजीगत परिव्यय भवन निर्माण | 4059 | 26543.84 | 0.00 | 26543.84 |
| 4 | सहकारिता पर पुंजीगत परिव्यय | 4425 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5 | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 2070 | 50.00 | 0.00 | 500.00 |
| | | **कुल** | **167848.84** | **21558.71** | **189407.55** |

### विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित निदेशालय / निगम एवं आयोगः–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय
2. बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड
3. बिहार महादलित विकास मिशन
4. राज्य अनुसूचित जाति आयोग
5. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग

## योजनाओं का कार्यान्वयन :

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत गठित निदेशालय, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड एवं बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाता है।

## संचालित योजनायें :

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास एवं कल्याणार्थ चलायी जा रही योजनाओं का कार्यान्वयन की जाती है। वर्तमान में निम्नलिखित योजनायें संचालित की जा रही है :–

| क्र. | अनु०जाति की योजनायें | क्र. | अनु०जनजाति की योजनायें |
|---|---|---|---|
| 1 | आवासीय विद्यालय | 1 | आवासीय विद्यालय |
| 2 | छात्रवृत्ति | 2 | छात्रवृत्ति |
| 3 | पुस्तक अधिकोष | 3 | पुस्तक अधिकोष |
| 4 | अत्याचार राहत | 4 | अत्याचार राहत |
| 5 | छात्रावास योजना | 5 | छात्रावास योजना |
| 6 | वैधिक सहायता | 6 | अनुसूचित जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना |
| 7 | मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना | 7 | मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना |
| 8 | विशेष केन्द्रीय सहायता योजना | 8 | प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र |
| 9 | प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र | 9 | थरूहट विकास योजना |
| 10 | परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना | 10 | परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना |
| 11 | महादलित विकास योजना | 11 | शोध कार्य |
| 12 | बिहार राज्य अनु०जाति सहकारिता विकास निगम | 12 | वनबन्धु कल्याण योजना |
| 13 | अनुसूचित जाति उप योजना (संबंधित विभागों के माध्यम से) | 13 | संविधान की धारा–275(1) के तहत् आधारभूत संरचना विकास योजना |
| 14 | अनुसूचित जाति उप योजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (के०यो०यो०) तथा राज्य योजना से अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान योजना | 14 | अनुसूचित जनजाति उप योजना (संबंधित विभागों के माध्यम से) |
| 15 | अम्बेदकर फाउण्डेशन | | |